



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30102025-267266
CG-UP-E-30102025-267266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4766]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2025/ कार्तिक 7, 1947

No. 4766]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/ KARTIKA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे(इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 13 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4917(अ).—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे (संशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में समपार संख्या 540 किमी 1422/16—18 (आगरा—पलवल सेक्शन) पर 02—लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के बाबत ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन, मथुरा, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जा सकेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आक्षेपों की

सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी जो आवश्यक समझे आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले भूमि का रेखांकन और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में समपार संख्या 540 किमी 1422/16-18 (आगरा —पलवल सेक्शन) पर 02—लेन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के बाबत आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	तालुका/ तहसील का नाम	परगना	गाँव का नाम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि	भूमि की प्रकृति
1	छाता	छाता	सेमरी	685 (मि०) 2.363 हेक्टेयर	0.2624 हेक्टेयर	कृषि
2	छाता	छाता	सेमरी	693 (मि०) 3.574 हेक्टेयर	0.2624 हेक्टेयर	कृषि
3	छाता	छाता	सेमरी	711/1 (मि०) 0.48 हेक्टेयर	0.2210 हेक्टेयर	कृषि
4	छाता	छाता	सेमरी	711/2 (मि०) 0.488 हेक्टेयर	0.2210 हेक्टेयर	कृषि
5	छाता	छाता	सेमरी	711/3 (मि०) 0.357 हेक्टेयर	0.0714 हेक्टेयर	आबादी घोषित /कॉमर्शियल
6	छाता	छाता	सेमरी	685 (मि०) 0.263 हेक्टेयर	0.287 हेक्टेयर	सड़क
7	छाता	छाता	सेमरी	693 (मि०) 0.016 हेक्टेयर		सड़क
8	छाता	छाता	सेमरी	711 (मि०) 0.008 हेक्टेयर		सड़क

[ई-फाईल नंबर: NCR-HQ0CENG(MIC)/19/2024-O/o DY.CE/Br./L/AGC (Computer No.126916)]

जे. सी. चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Engineering Department)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 13th October, 2025

S.O. 4917(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of clause 20A of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) and Railways Amendment act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule Annexed hereto is required for the purpose of execution of special Railway Project namely, "Construction of 02-lane road over bridge in lieu of level crossing no. 540 at Km. 1422/16-18 in Agra-Palwal Section in Agra Division of North Central Railway", here by declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Mathura, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by competent Authority under Clause 20D(3) sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project namely "Construction of 02-lane road over bridge in lieu of level crossing no. 540 at Km 1422/16-18 in Agra-Palwal Section in Agra Division of North Central Railway".

S. N o.	Name of Tehsil	Name of Pargana	Name of Village	Plot No	Proposed Land for Acquisition	Nature of Land
1	Chhata	Chhata	Semari	685 (mi) 2.363 Hectare	0.2624 Hectare	Agriculture Land
2	Chhata	Chhata	Semari	693 (mi) 3.574 Hectare	0.2624 Hectare	Agriculture Land
3	Chhata	Chhata	Semari	711/1(mi) 0.48 Hectare	0.2210 Hectare	Agriculture Land
4	Chhata	Chhata	Semari	711/2(mi) 0.488 Hectare	0.2210 Hectare	Agriculture Land
5	Chhata	Chhata	Semari	711/3(mi) 0.357 Hectare	0.0714 Hectare	Populated declared / Commercial
6	Chhata	Chhata	Semari	685 (mi) 0.263 Hectare	0.287 Hectare	Road
7	Chhata	Chhata	Semari	693(mi) 0.016 Hectare		Road

8	Chhata	Chhata	Semari	711 (mi) 0.008 Hectare		Road
---	--------	--------	--------	---------------------------	--	------

[e-file No. NCR-HQ0CENG(MIC)/19/2024-O/o DY.CE/Br./L/AGC (Computer No. 126916)]

J.C.CHAURASIA, Principal Chief Engineer